न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1247–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–04–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2, खरगोन, तहसील व जिला खरगोन, प्रकरण कमांक 04/अ–12/2015–16.

.....

लखन पिता घिसीलाल
निवासी काजीपुरा खरगोन तहसील व जिला खरगोन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–शंकर पिता हरिराम जोशी,
निवासी हास्पीटल रोड खरगोन
2–हरिश कुमार पिता अनोखीलाल जैन
निवासी नुतन नगर खरगोन तहसील व जिला खरगोन
3–पवनकुमार पिता हुकुमचन्द अग्रवाल
निवासी अवनिग्राम खरगोन तहसील व जिला खरगोन
4–राधिका पति रमेशचन्द्र
निवासी विश्वसखा कॉलोनी खरगोन
5–भरत कुमार पिता कृष्णलाल खोडे
निवासी विश्वसखा कॉलोनी खरगोन
6–अशोक पिता सालगराम
निवासी कुन्दानगर खरगोन
7–रामकृष्ण पिता छगनलाल
निवासी कुन्दानगर खरगोन
8–दिलीप पिता बाबूलाल राठौर
9–शैलेन्द्र पिता बाबूलाल राठौर
दोनों निवासी नूतन नगर खरगोन
10–तरूण पिता छोटेलाल कुलश्रेष्ठ
11–अनुज पिता छोटेलाल कुलश्रेष्ठ
दोनों निवासी जानकी नगर खण्डवा रोड खरगोन
12–प्रकाश पिता उमाकान्त
निवासी कुन्दानगर खरगोन
13–श्याम पिता उदयसिंह दांगी
निवासी मुनी कुए के पास मुसेखां मार्ग खरगोन
14–गजेन्द्र पिता श्रीराम दांगी
निवासी मुनी कुए के पास, मुसेखां मार्ग खरगोन

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री ओ.पी.शर्मा एवं श्री व्ही.के.तारे, अभिभाषकगण–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2, खरगोन, तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–04–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 शंकर एवं अनावेदक कमांक 2 हरिश कुमार द्वारा तहसीलदार खरगोन के समक्ष उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम आरामपुरा तहसील खरगोन स्थित भूमि सर्वे नम्बर 14/1 रकबा 1.352 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–12/2015–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का दिनांक 9–4–2016 को सीमांकन कराया जाकर दिनांक 11–4–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार द्वारा की गई इसी सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आयुक्त, भू–अभिलेख द्वारा टी.सी.एस. मशीन से सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये है, इसके बावजूद राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी की अनुपस्थिति में जरीब से सीमांकन करने में अनियमित एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है और ना ही स्थायी सीमांचिन्हों से सीमांकन किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को उसकी भूमि बेचने के लिये मजबूर करने के उद्देश्य से प्रश्नाधीन भूमि का विधि विपरीत सीमांकन कराया

गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसकी विधवा माता कृषि कार्य करती चली आ रही है और उसको भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से अनावेदकगण द्वारा सीमांकन कार्यवाही कराई गई है । उनके द्वारा सीमांकन कार्यवाही निरस्त की जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया है और सीमांकन में आवेदक को सूचना दी गई है और आवेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से सीमांकन कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया गया है और सीमांकन कार्यवाही दोनों प्रकार से की जा सकती है, जरीब से भी और टी.सी. एस. मशीन से भी । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 8–10–15 को सीमांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–4–2016 को प्रकरण दर्ज किया गया है और राजस्व निरीक्षक द्वारा इससे पूर्व दिनांक 9–4–2016 को सीमांकन कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि विधि के प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही नहीं है, कारण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार को प्रथमतः प्रकरण दर्ज करना चाहिये । तदोपरांत सीमांकन के आदेश दिये जाने चाहिये कि सीमांकन किसके द्वारा किया जायेगा और तत्पश्चात् सीमांकन कार्यवाही संपन्न कराई जाकर सीमांकन आदेश पारित करना चाहिये । प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि सूचना पत्र में कमांक 1 पर आवेदक का नाम अंकित है पर उस पर तामीली स्वरूप किसी शुभम के हस्ताक्षर है । शुभम कौन है यह प्रकरण से स्पष्ट नहीं है, अर्थात् आवेदक पर सूचना पत्र की तामीली विधिवत् नहीं कराई गई है । सीमांकन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं कर प्रश्नाधीन भूमि की पश्चिमी

मेढ़ पर चिंह कायम कर सीमांकन किया गया है, जबकि संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया जाना चाहिये । इस प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह भी है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । इस संबंध में 2010 आरएन 259 रामसुशील शर्मा विरूद्ध हरिभजन तिवारी तथा अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ''सीमांकन कार्यवाही से पूर्व समीपवर्ती कृषकों को सूचना देना विधिक अपेक्षा है ।'' अतः इस न्यायदृष्टांत के प्रकाश में भी राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 09–04–2016 एवं तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 11–04–2016 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर